न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
55 / 2025 / प्रा.पत्र / 2025	13.06.2025	10.10.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

..........प्रार्थी

बनाम

1—श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक राज0। निवासी माल मोहल्ला देवली जिला टोंक राज.। पिनकोड—304804 मोबाईल नं.—9462047845

2—श्री धीरज कुमार मित्तल पुत्र श्री अशोक कुमार मित्तल पार्टनर मैसर्स के.आर. सेल्स कॉरपोरेशन दुकान नं0 बी—70 राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर। पिनकोड—302013 निवासी प्लॉट नं0 92, जगदम्बा कॉलोनी जयपुर राज0। पिनकोड—302021

5—श्री शैलेशभाई अशोकभाई पेन्सलवार मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्टस प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 91—95, ब्लॉक नं0 274—276, सत्यम इण्ड. ईस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक तह. व्यारा जिला तापी गुजरात। पिनकोड—394650

..........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii),(v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्रीमति रितिका जैन उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 10.10.25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2025 को समय 03:41 पी.एम. पर मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर विक्रेता की हैसियत से श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र स्व. श्री ताराचन्द मंगल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे गुड़, तेल, घी, मसाले, आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ कागज के कार्टून में 905—905 ग्राम (1—1 लीटर) के 15 मूल पैक **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए मे वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** जिसके बैच नम्बर पीसी—10—24 एवं पैकिंग की दिनांक 07.10.2024 थी, को ज्यो का त्यों

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

905 ग्राम का 1 नग मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** 905 ग्राम का 1 नग मूल पैक को खोलकर प्लास्टिक की चार साफ व सूखी चार शीशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शीशी में 250–250 एमएल भरकर नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूनों भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4243 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4243 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें।चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री गोपाल लाल मंगल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल अग्रसेन मार्केट देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स के.आर. सेल्स कॉरपोरेश्न दुकान नं0 बी–70 राजधानी कृषि मण्डी सीकर रोड जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया। मैसर्स के.आर. सेल्स ने बतौर वारन्टी मैसर्स ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 91–95, ब्लॉक नं0 274–276, सत्यम इण्ड ईस्टेट, ग्राम बेडकुवानाजीक तह. व्यारा जिला तापी गुजरात का बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2025 / 318 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 386 / एक्ट / 2025 / 490 दिनांक 03.03.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच कय किया गया **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा (3)(1)(zx)(ii) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन न 2.3.7(2) का उल्लंघन करने के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अत आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्रीमति रितिका जैन उपस्थित हुये एव निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अत प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी नन्द कृष्णा ब्राण्ड (Ghee Nand Krishna Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000/—(अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में जब्शुदा नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0